14/7/25 पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी की खातेदारी कृषिकारी की आराजी है। न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 11/10/2012 के अनुसार "मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 17/09/2009 के अनुसार खसरा नम्बर 4194/1.14 हैक्टे. [illegible] कृपा जावे।

[illegible] प्रार्थी वकील की बहस को सुना, मौका पर्चा दिनांक [illegible]06/2023 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई [illegible] 11/10/2012 का अवलोकन किया, तो पाया कि खसरा नम्बर 4194/1.14 हैक्टे. वाके ग्राम कुर्बई तिर्पे की मुड़ी गढ़ाई करवाये जाना न्यायहित में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 एम आर एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 4194 से लगते खसरा नम्बरान के खातेदारान को पूर्व में सूचित करते हुए, उनकी उपस्थिति में पैमाइश कर मुड़ी गढ़वाई करवाये जाने बाबत् अपील किया जाता है।

पत्रावली फुलल कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangadhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner